

झारखण्ड विधान सभा

कार्य सूची

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा

02 अगस्त, 2023 (ई०)

बुधवार, तिथि-

[द्वादश (मानसून) सत्र]

11 श्रावण, 1945 (श०)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

प्रारम्भिक-कार्य

-:प्रश्नोत्तर:-

- (01) सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (02) अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।
- (03) शून्यकाल की सूचनाएँ।

-:ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्य:-

- (04) सुश्री अम्बा प्रसाद, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक 31-07-23 एवं 01-08-2023 से स्थगित)
- (05) श्री प्रदीप यादव, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक 01-08-2023 से स्थगित)
- (06) सर्वश्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, विनोद कुमार सिंह एवं श्री अमित कुमार मण्डल, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक 01-08-2023 से स्थगित)
- (07) डॉ० सरफराज अहमद, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक 01-08-2023 से स्थगित)
- (08) डॉ० लम्बोदर महतो, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक 01-08-2023 से स्थगित)

- (09) श्री उमाशंकर अकेला,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक 01-08-2023 से स्थगित)
- (10) श्री मथुरा प्रसाद महतो,स०वि०स० एवं श्री सुखराम उरौव, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (जल संसाधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (11) श्री बिरंची नारायण,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (पर्यटन,कला-संस्कृति,खेल-कूद एवं युवा कार्य विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (12) श्री कमलेश कुमार सिंह,स०वि०स०की ध्यानाकर्षण- सूचना तथा उसपर सरकार (कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता विभाग)की ओर से वक्तव्य।
- (13) श्री विकास कुमार मुण्डा,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (ऊर्जा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (14) श्री राज सिन्हा, स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग)की ओर से वक्तव्य।

-:समितियों का गठन:-

- (15) झारखण्ड विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।

-:सभा के समक्ष प्रतिवेदनों का रखा जाना:-

- (16) झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (17) याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

-: विधायी कार्य :-

आरोग्यम इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक,2023

- (18) प्रभारी मंत्री,उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग श्री हेमन्त सोरेन,प्रस्ताव करेंगे कि "आरोग्यम इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक,2023"को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (19) प्रभारी मंत्री,उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग श्री हेमन्त सोरेन,उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (20) प्रभारी मंत्री,उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग श्री हेमन्त सोरेन,प्रस्ताव करेंगे कि"आरोग्यम इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक,2023"पर विचार हो।
- (21) प्रभारी मंत्री,उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग श्री हेमन्त सोरेन,प्रस्ताव करेंगे कि "आरोग्यम इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक,2023"स्वीकृत हो।

सी0वी0रमण ग्लोबल विश्वविद्यालय विधेयक,2023

- (22) प्रभारी मंत्री,उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग श्री हेमन्त सोरेन,प्रस्ताव करेंगे कि "सी0वी0रमण ग्लोबल विश्वविद्यालय विधेयक,2023"को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (23) प्रभारी मंत्री,उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग श्री हेमन्त सोरेन,उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (24) प्रभारी मंत्री,उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग श्री हेमन्त सोरेन,प्रस्ताव करेंगे कि"सी0वी0रमण ग्लोबल विश्वविद्यालय विधेयक,2023" पर विचार हो।
- (25) प्रभारी मंत्री,उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग श्री हेमन्त सोरेन,प्रस्ताव करेंगे कि "सी0वी0रमण ग्लोबल विश्वविद्यालय विधेयक,2023" स्वीकृत हो।

कारखाना (झारखण्ड संशोधन) विधेयक,2023

- (26) प्रभारी मंत्री,श्रम,नियोजन,प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग श्री सत्यानन्द भोक्ता, प्रस्ताव करेंगे कि "कारखाना (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2023" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (27) प्रभारी मंत्री,श्रम,नियोजन,प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग श्री सत्यानन्द भोक्ता,,उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (28) प्रभारी मंत्री, श्रम,नियोजन,प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग श्री सत्यानन्द भोक्ता,प्रस्ताव करेंगे कि"कारखाना (झारखण्ड संशोधन) विधेयक,2023"पर विचार हो।
- (29) प्रभारी मंत्री, श्रम,नियोजन,प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग श्री सत्यानन्द भोक्ता,प्रस्ताव करेंगे कि "कारखाना(झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2023" स्वीकृत हो।


झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक,2023

- (30) प्रभारी मंत्री,विधि विभाग श्री हेमन्त सोरेन,प्रस्ताव करेंगे कि"झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक,2023"को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (31) प्रभारी मंत्री, विधि विभाग,श्री हेमन्त सोरेन,उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (32) प्रभारी मंत्री,विधि विभाग, श्री हेमन्त सोरेन,प्रस्ताव करेंगे कि"झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक,2023" पर विचार हो।
- (33) प्रभारी मंत्री,विधि विभाग,श्री हेमन्त सोरेन,प्रस्ताव करेंगे"झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक,2023" स्वीकृत हो।


(34) अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०५/२०२३-^{२०५९}...../वि०स०, राँची, दिनांक-^{०१/०८/२३}.....
प्रतिलिपि:-माननीय सदस्यगण, झारखण्ड विधान-सभा, राँची/माननीय मुख्यमंत्री
माननीय मंत्रिगण/सरकार के मुख्य सचिव, झारखण्ड/ माननीय राज्यपाल के प्रधान
सचिव/ महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ लोकसभा, नई दिल्ली/झारखण्ड सरकार के समस्त
विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



^{०१/०८/२०२३}
(हरेन्द्र कुमार साह)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०५/२०२३-^{२०५९}...../वि०स०, राँची, दिनांक-^{०१/०८/२३}.....
प्रतिलिपि:-संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय
को कमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।


^{०१/०८/२०२३}
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०५/२०२३-^{२०५९}...../वि०स०, राँची, दिनांक-^{०१/०८/२३}.....
प्रतिलिपि:-झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाईट शाखा,
पुस्तकालय शाखा, जनसम्पर्क शाखा एवं झारखण्ड विधान-सभा टी०वी० को सूचनाथ
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

गोपी कृष्ण/


^{०१/०८/२०२३}
उप सचिव
झारखण्ड विधान सभा, राँची
^९
^{०१.०८.२३}